न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 324/2019

दशरथसिंह दत्तक पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत, निवासीः रामजीपुरा खुर्द, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

त्रिलोक कंवर पुत्री गणपतसिंह जाति राजपूत, निवासीः रामजीपुरा खुर्द, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 05.07.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 36/2018 उनवानी त्रिलोक कंवर बनाम दशरथ सिंह अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री भगवान सहाय शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री महेन्द्र सिंह पवार एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः 16.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट/अप्रार्थी की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 36/2018 बउनवानी त्रिलोक कंवर बनाम दशरथ सिंह में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 152 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 158 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 9 बिस्वां ग्राम रामजीपुरा खुर्द, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती आ रही है एवं भूमि का उपयोग उपभोग कर रही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से अप्रार्थी का कोई संबंध नहीं है एवं ना ही उसका कोई कब्जा काश्त है और ना ही उक्त भूमि उसकी खातेदारी में दर्ज है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी की नियत में फितूर आया हुआ है और वह प्रार्थीया की उक्त भूमि पर नाजायज/अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहता है और प्रार्थीया को उसकी उपरोक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहता है जिसके लिये अप्रार्थी आये दिन प्रयास करता रहता है और प्रार्थीया के कब्जें काश्त में मजाहमत पैदा करता है। अभी कुछ समय पूर्व अप्रार्थी अपने साथ कुछ व्यक्तियों को लेकर आया और भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थीया ने बडी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मुश्किल से अप्रार्थी को रोका परन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थीया को धमकी दी कि वह प्रार्थीया को उसके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि से बेदखल कर कब्जा करेगा और प्रार्थीया के कब्जे काश्त में मजामहत पैदा करेगा इसलिये प्रार्थीया को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति में भू–माफिया गिरोह के लोगो से मिलकर प्रार्थीया जो कि एक ग्रामीण परिवेश की महिला है, उसकी उक्त आराजीयात पर नाजायज रूप से जबरन कब्जा कर प्रार्थीया को बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीया को असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी व कानूनी पेचीदगीया उत्पन्न हो जायेगी ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में बमुकाबले अप्रार्थी प्रबल है। अंत में अनतोष चाहा है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को ताफैसला मूद वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह खसरा नंबर 152 एवं 158 कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा ग्राम रामजीपुरा खुर्द, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर में प्रार्थीया के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न न करे ना ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2018 को वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनकर अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया गया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की पूर्ण व विधिक रूप से तामील करवाये बिना व अपीलान्ट को बिना सुने ही एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने झूठे तथ्यों पर आधारित वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्याालय के समक्ष प्रस्तुत कर एवं न्यायालय को मुगालते में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जो विधि विरूद्व है। विधि अनुसार एकतरफा पारित आदेश को 30 दिवस के भीतर निर्णित करना आवश्यक है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग एक वर्ष की अवधि के पश्चात् भी प्रार्थना पत्र को अंतिम रूप से निस्तारित नहीं किया है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी पेज 589, 2009 (4) सी.सी.सी. 302, 2009 (4) सी.सी.सी. 480 (राज.), 1998 आर.आर.डी. पेज 558, आर.आर.टी 2014 (1) पेज 409 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के हितों की रक्षार्थ एवं रेस्पोडेन्ट की अपूर्तनीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुये सही निर्णय दिनांक 05.07.2018 को पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2018 को आदेश पारित कर अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजीयात में वादी/प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी को देखने से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेन्ट विवादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट का यह कथन कि विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत अन्य वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते हुये भी रेस्पोडेन्ट त्रिलोक कंवर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते हुये भी गलत अभिवचन कर वाद प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद घोषणा के अनुतोष बाबत प्रस्तुत किया गया है जबकि वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् कब्जे काश्त में दखलअंदाजी के बाबत अपीलान्ट को पाबंद किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है। विवादग्रस्त आराजीयात बाबत पक्षकारान के मध्य विवाद न बढे इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद संख्या 33/2012 दशरथ सिंह बनाम भंवर कंवर में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है जिससे रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी भी प्रतिबंधित है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी/रेस्पोडेन्ट विवादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा का बिन्दु प्रथमदृष्टया मामला रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के पक्ष में साबित पाया जाता है। यदि अपीलान्ट/अप्रार्थी को कब्जे काश्त में दखलअंदाजी से पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है जिससे सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में पाये जाते है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट/अप्रार्थीगण का पक्ष सुनकर प्रार्थना पत्र को 60 दिवस की अवधि में अंतिम निस्तारण करे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर